


57

न्यायालय श्रीमान् सस्य महादय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

नगरानी प्रकरण क्रमांक /2012



C.F.R. 151-

राजेन्द्र प्रसाद दुवे तनय गोविन्द प्रसाद दुवे उम्र 38 वर्ष, पेशा

खेतो निवासीग्राम हटवा सुरहान पो० डनगन तह० मउरुगंज, जिला

रीवा म०प्र०

आवेदक

वनाम

- 1- हेत राम दुवे तनय रामटहल
- 2- विजयकुमार तनय जानकोराम दुवे
- 3- राजमान दुवे तनय जानकोराम दुवे
- 4- इन्द्रजोत दुवे तनय जानकोराम दुवे
- 5- रामनिश्चय दुवे तनय जानकोराम दुवे,

सो निवासीगण ग्राम हटवा सुरहान, तहसील मउरुगंज, जिलारीवा म०प्र०

अनावेदकगण

नगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनु विभागीय

अधिकारी मउरुगंज दिनांक 16-10-12 तावत

प्रकरण क्र० 19 अज 27/2010-11

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता

स 1959 ई०

संदोष मे तथ्य

ग्राम हटवा सुरहान तहसील मउरुगंज जिलारीवा


स्थित भूमिया जरिये पुल्लो वटवारा तारीख 0-5-08-1955 प्राप्त हक व

राजेन्द्र प्रसाद दुवे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक 149-दो/2013 निगरानी

जिला - रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	<p>उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया।</p> <p>2/ यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मउगंज जिला रीवा के प्रकरण नंबर 19 अ-27/10-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-10-12 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 16 पर आदेश दिनांक 22-2-2007 से नायव तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किये गये नामान्तरण के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को क्षमा किया गया है।</p> <p>3/ अनावेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 16-10-12 के बाद पक्षकारों को सुनकर प्रकरण का आदेश दिनांक 11-2-2013 से अंतिम निराकरण कर दिया है जिसके कारण यह निगरानी व्यर्थ है। प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर विचारोपरांत पाया गया कि जब अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण नंबर 19 अ-27/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-13 से अपील प्रकरण का निवटारा अंतिम रूप से कर दिया है, दुखी पक्षकार सक्षम न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश को चुनौती दे सकते हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में गुणदोष पर विचार का औचित्य न रहने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।</p>	 सुदस्य